

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

12/10/21

पञ्जीवली प्रशासन गाँव के संग अभियान के मध्य कडैथीवत पक्कू पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार दफ्तर दफ्तर की रिपोर्ट ली गई। जिसमें ग्राम कडैथीवत के खाली संख्या 169 में प्राचीन मानस बने मिथा के स्थान पर नन्ने मिथा करने की अनुशंसा की गई।

मुताबिक तहसीलदार दफ्तर की अनुशंसा के आधार पर ग्राम कडैथीवत के खाली संख्या 169 में प्राचीन मानस बने मिथा के स्थान पर नन्ने मिथा करने के आदेश तहसीलदार दफ्तर को दिये जाते हैं। आदेश हथक से जारी किया जाकर शांति मिथा किया गया। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही उसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पञ्जीवली प्रेशल कुमार हेकर दायित्व दफ्तर है।

उपस्रण्ड अधिकारी
उबडा जिला बारा (राज)

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ...डबडा जिल्ला ...बारां.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हर्ष कडुशीवात व भू.अ.नि. मुडल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/नामब-तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....हर्ष तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077में खाता संख्या.....169.....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कडुशीवात</u>	169	<u>तनेमिया पुत्र राजाराम</u>	<u>तनेमिया पुत्र राजाराम</u>

(मनीषा निवासी)
उपखण्डाधीन अधिकारी
डबडा, उपखण्डाधिकारी

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/20.....21 | कडुशीवात | 30

दिनांक.....12/10/21.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार.....हर्ष.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....मनीषा निवासी R/O कडुशीवात.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मनीषा)
उपखण्डाधीन अधिकारी
डबडा, उपखण्डाधिकारी